

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.1(16)नविवि / II / 2013 / पार्ट-१

जयपुर, दिनांक: ३ JUL 2017

शुद्धि पत्र

इस विभाग के आदेश क्रमांक प.1(16)नविवि / II / 2013 द्वारा न्यास सेवा में नियुक्त कनिष्ठ अभियंता (सिविल) (डिग्रीधारी) द्वारा 2 वर्ष का परिवीक्षाकला सफलता पूर्वक पूर्ण कर लेने के फलस्वरूप नियमित किया जाकर, नियमित कनिष्ठ अभियंताओं की स्थाई (अन्तिम) वरिष्ठता सूची वरियता (मेरिट) के आधार पर निम्नानुसार जारी की गई थी। इसमें टंकण त्रुटि/सहवन से रहे कनिष्ठ अभियंता (सिविल) डिग्रीधारी के सम्बन्ध वरियता का निर्धारण किया जाता है। इसे विभाग द्वारा जारी स्थाई अन्तिम वरिष्ठता सूची दिनांक 08.12.2015 को का भाग माना व पढ़ा जावे:-

१. श्री कैलाश चन्द जांगिड पुत्र श्री चिरंजीलाल जांगिड, की वरियता (मेरिट) के आधार पर कनिष्ठ अभियंता की स्थाई (अन्तिम) वरिष्ठता सूची दिनांक 08.12.15 में क्रम संख्या 53 पर अंकित श्री विकास शर्मा पुत्र श्री रमेश चन्द शर्मा एवं क्रम संख्या 54 पर अंकित सुमनेश कुमार यादव पुत्र श्री दुर्गा राम यादव के मध्य 53—ए पर निर्धारित की जाती है।
२. श्री नीरज चौधरी पुत्र श्री सियाराम चौधरी की वरियता (मेरिट) के आधार पर कनिष्ठ अभियंता की स्थाई (अन्तिम) वरिष्ठता सूची दिनांक 08.12.15 में क्रम संख्या 239 पर अंकित श्री मनीष जांगिड पुत्र श्री गजानन्द जांगिड एवं क्रम संख्या 240 पर अंकित श्री तपेश वशिष्ठ पुत्र श्री राजदीप शर्मा के मध्य 239—ए पर निर्धारित की जाती है।
३. कनिष्ठ अभियंता की स्थाई (अन्तिम) वरिष्ठता सूची दिनांक 08.12.15 में सहवन से क्रम संख्या 74 पर अंकित श्री नवनीत कुमार पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह की जन्म दिनांक 24.06.1985 के स्थान पर 24.06.1975 अंकित हुई है को त्रुटि सुधार कर 24.06.1985 पढ़ा/समझा जावे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव—प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

१. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग।
२. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
३. जिला कलेक्टर, अजमेर, अलवर, सिरोही, बीकानेर, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, कोटा, उदयपुर, श्रीगंगानगर, सीकर, पाली, सवाई माधोपुर, चिंतोडगढ़, जैसलमेर, जोधपुर।
४. आयुक्त/सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण
५. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
६. सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर, आबू, बीकानेर, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, कोटा, उदयपुर, श्रीगंगानगर, सीकर, पाली, सवाई माधोपुर, चिंतोडगढ़, जैसलमेर, को प्रेषित कर लेख है, कि आपके न्यास में कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ताओं को अवगत कराने का कष्ट करें।
७. महाप्रबन्धक, आवास विकास एवं इन्फास्ट्रक्चर लिंग, जयपुर।
८. परियोजना निदेशक, आर.यू.आई.डी.पी. राजस्थान जयपुर।
९. परियोजना निदेशक, दिल्ली, मैट्रो रेल कॉरपोरेशन, पुराना महिला छात्रावास नेहरू पैलेस के पीछे लाल कोठी, टॉक रोड, जयपुर।
१०. महाप्रबन्धक, आर.यू.आई.एफ.डी.सी.ओ (RUIFDCO), जयपुर।
११. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान जयपुर।
१२. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग।
१३. वरिष्ठ शासन उप सचिव, नगरीय विकास विभाग को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करावे।
१४. संबंधित कनिष्ठ अभियन्तागण
१५. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव—प्रथम